

पत्रांक-स्था-3(ख) सामान्य स्थानान्तरण-वाहन चालक संवर्ग/2024-25/ 1649 /राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ:: दिनांक:: 23 जुलाई, 2024

**// आदेश //**

तात्कालिक प्रभाव से राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालकों को स्तम्भ-3 से स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय/स्थान	जोनल कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री सूरज कुमार यादव	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	कानपुर
2.	श्री रमेश चन्द्र खरवार	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	मुरादाबाद
3.	श्री नन्द किशोर रावत	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	बरेली
4.	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	लखनऊ
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	बरेली
6.	श्री राजकुमार	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	लखनऊ
7.	श्री अहमद अली	राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।	लखनऊ

1. यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
2. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर को इस आशय से कि उक्त वाहन चालकों को जनपद की सचलदल इकाइयों में तैनाती हेतु पृथक से तैनाती आदेश निर्गत करेंगे।
3. उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-1 के पत्र संख्या-वि०स०/यू०ओ०-1135/11-1-2024 दिनांक 05-07-2024 एवं पत्र संख्या-वि०स०/यू०ओ०-1136/11-1-2024 दिनांक 05-07-2024 के अनुपालन में उक्त वाहन चालकों की तैनाती अधिकतम एक वर्ष के लिए की जा रही है। एक वर्ष के पश्चात उक्त समस्त वाहन चालक मुख्यालय में वापस तैनात किये जायेंगे।
4. उपरोक्त सभी स्थानान्तरित कर्मिकों को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
5. उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मिकों को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करते हुए उन्हें नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

जति राज्य

25/07/24

D.C (M)  
25/07/24

1488


(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक)राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित उपायुक्त(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. चरित्र पंजिका सेल, राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।

  
(प्रबल कुमार)

संयुक्त आयुक्त(स्थापना अराजपत्रित)  
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।